न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 473 / 2025 दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. रामचन्द्र पिता चमना काछी आयु वयस्क निवासी काछियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।

— वादी

बनाम

1. कंकू पुत्री रूपा काछी आयु वयस्क निवासी काछियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
2. ऊंकारलाल पिता हरलाल काछी आयु वयस्क निवासी काछियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
3. धनराज पिता हरलाल काछी आयु वयस्क निवासी काछियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
4. भोरीलाल पिता हरलाल काछी आयु वयस्क निवासी काछियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
5. मु0 कमला पुत्री हरलाल काछी आयु वयस्क निवासी काछियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
6. मु0 प्रेमी पुत्री हरलाल काछी आयु वयस्क निवासी काछियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
7. मु0 भंवरी पुत्री हरलाल काछी आयु वयस्क निवासी काछियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
8. डालू पिता कालू काछी आयु वयस्क निवासी काछियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
9. नारायणलाल पिता मुकंदलाल पिता रामलाल काछी आयु वयस्क निवासी काछियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
10. मोहनलाल पिता मुकंदलाल पिता रामलाल काछी, आयु वयस्क निवासी काछियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
11. लक्ष्मणलाल पिता रामलाल काछी आयु वयस्क निवासी काछियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
12. गोपाललाल पिता रामलाल काछी आयु वयस्क निवासी काछियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।

— प्रतिवादीगण

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांक: 07.01.2026

—:निर्णय:—

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि मौजा काछियाखेड़ी तहसील कपासन में कृषि भूमि साबीक पैमायश की आराजी नं० 109 रकबा 1 बिघा 6 बिस्वा, आराजी चाह नं0 99 रकबा 9 बिस्वा स्थित थी। उक्त आराजी नं0 109 श्री रूपा, हरलाल, डालू पिता कालू काछी निवासी काछियाखेड़ी के नाम पर दर्ज थी व प्रत्येक का 1/3–1/3–1/3 हिस्सा था तथा शामलाती चाह नं० 99 उक्त रूपा, हरलाल,

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

काछी के पिता कालू पिता हुक्मा काछी के नाम पर दर्ज था व उनका 1/20 हिस्सा था। सकी ताईद में नकल जमाबन्दी संवत् 2032 संलग्न है।

यह कि उक्त आराजी नं० 109 का 1/3 हिस्सा तथा चाह नं0 99 का 1/20 का 1/3 यानि 1/60 हिस्सा रूपा पिता कालू काछी नि० काछियाखेड़ी ने जरिये रजिस्टर्ड- विक्रयपत्र दि० 15/8/1994 के 10,000/- दस हजार रूपया में वादी रामचन्द्र को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया तव से वादी इन पर काबिज होकर उपयोग-उपभोग कर रहा है. उक्त चाह नं0 99 में नगजी पिता हुक्मा काछी का भी 1/20 भाग था जो उनकी मृत्यु के बाद पुत्र चमना व चमना की मृत्यु के बाद वादी रामचन्द्र के नाम पर दर्ज हैं।

यह कि उक्त आराजी नं0 109 के हाल पैमायश में आराजी नं० 222 रकबा 0.19 है0, तथा आराजी नं0 223 रकबा 0.09 है० कायम हुए हैं तथा इसी प्रकार चाह नं0 99 के हाल पैमायश में आराजी नं0 227 रकबा 0.10 हैक्टर बने हैं, आराजी नं0 222 वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में रूपा की मृत्यु के बाद उनकी वारीस पुत्री प्रतिवादी नं 1 मु० कंकू, तथा हरलाल की मृत्यु के बाद उसका हिस्सा उसके वारीसान प्रति0नं0 2,3,4,5,6,7 के नाम पर व शेष 1/3 हिस्सा डालू पिता कालू के नाम पर दर्ज हैं, तथा प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आ0नं0 223 साबीक नं० 199 का भाग रामलाल पिता घासी काछी नि० काछियाखेड़ी को विक्रय कर दी व उसकी मृत्यु हो गई व उसके वारीस प्रतिवादी नं0 9 से 12 हैं।

यह कि वादी की क्रयशुदा आ०नं० 199 का 1/3 हिस्सा हाल नं० 222-223 जो रूपा काछी से क्रय किया था मगर राजस्व रेकॉर्ड में उक्त जमीन डालू काछी के नाम पर व उसकी मृत्यु के बाद उसकी पुत्री मु० कंकू - प्रति०न० 1 के नाम पर दर्ज है तथा चाह नं० 227 अभी भी स्व0 कालू पिता हुक्मा काछी के नाम पर ही दर्ज हैं और उसमें 1/60 हिस्सा वादी का क्रयशुदा हैं और उक्त आराजी अभी भी राजस्व रेकॉर्ड में वादी के नाम पर दर्ज नहीं हुई हैं अतः इस आशय की घोषणा किया जाना आवश्यक है कि वर्तमान आराजी नं० 222-223 का 1/3 हिस्सा तथा चाह नं0 227 का 1/60 हिस्सा का वादी खातेदार काश्तकार होकर काबिज हैं तथा वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड का इन्द्राज गलत है अतः इसी माफिक उसे दुरुस्त किया जाना भी आवश्यक है।

यह कि उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हाल ही में राजस्व रेकॉर्ड देखने से हुई हैं और वादी ने प्रतिवादीगण से इन्द्राज दुरूस्ती हेतू कहा तो टालमबाजी करते हैं, अतः बिनाय दावा पैदा हुई है जिसकी शुरूआत दिनांक 11/6/2020 से है व निरन्तर पैदा हो रही हैं।

अन्त में वादी ने प्रार्थना की कि-

(अ) वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घोषणा किये जाने की डिक्री प्रदान की जावे कि मौजा काछियाखेड़ी तहसील कपासन की आराजीयात नं0 222-223 साबीक नं0 109 का 1/3 हिस्सा तथा चाह नं० 227 साबीक नं० 99 का 1/60 हिस्सा का वादी खातेदार होकर काबिज हैं और वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड का जो ईन्द्राज हैं वह गलत है अतः उसको इसी अनुसार दुरूस्त किया जाकर वादी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज किया जावें।

(ब) वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की प्रदान की जावे कि वादी की उक्त क्रयशुदा आराजीयात चाह के उपयोग-उपभोग में बाधा नहीं डाले व अन्यत्र रहन-विक्रय नहीं करें तथा अपने नौकर, एजेन्ट, परिवारजन को भी प्रेरित नहीं करें। अन्य कोई अनुतोष जो वादी को दिलांना न्यायोचित हो वह दिलाया जावें। हर्जा, खर्चा आदि दिलाया जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी सं0 1 से 12 के बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से पूर्व में दिनांक 16.12.2022 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्यवादी में वादी रामचन्द्र का शपथ पत्र प्रस्तुत जो शा0फा0 है। पत्रावली पर जमाबन्दी आराजी संख्या 222 जमाबन्दी संवत् 2074-2077 प्रदर्श-1, प्रमाणित प्रति जमाबन्दी आराजी संख्या 223 संवत् 2074-2077 प्रदर्श-2, प्रमाणित प्रति जमाबन्दी आराजी संख्या 227 जमाबन्दी संवत् 2074-2077 प्रदर्श-3, प्रमाणित प्रति जमाबन्दी आराजी संख्या 99 संवत् 2032-2035

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

4. प्रमाणित प्रति जमाबन्दी आराजी संख्या 109 संवंत् 2032–2035 प्रदर्श–5, प्रमाणित प्रति मिलान शीट प्रदर्श–6 फोटोप्रति रजिस्टर्ड विक्रयपत्र प्रदर्श–7ए है।

बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–7ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक खातेदार रूपा पिता कालू द्वारा वादी को आराजी संख्या 109 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा में से अपना 1/3 हिस्सा व आराजी संख्या 99 रकबा 9 बिस्वा में से अपना 1/60 हिस्सा विक्रय किया गया। प्रदर्श–6 मिलान शीट के अवलोकन से साबिक आराजी संख्या 109 से हाल आराजी नम्बर 222 व 223 बने है व साबिक आराजी संख्या 99 से हाल आराजी नम्बर 227 बना है। प्रदर्श–5 साबिक आराजी संख्या 109 में रूपा का 1/3 हिस्सा था व प्रदर्श–4 आराजी संख्या 99 में बेचानकर्त्ता रूपा के नाम 1/20 हिस्सा दर्ज रेकार्ड था। अतः प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वादी अपना वादपत्र सिद्ध कराने में सफल रहा। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा काछियाखेडी पटवार हल्का बालारडा तहसील कपासन की हाल आराजी नम्बर 222 रकबा 0.19 हैक्ट0 मे दर्ज कंकु पुत्री रूपा जाति काछी के नाम दर्ज हिस्सा वादी के नाम, आराजी नम्बर 223 रकबा 0.09 हैक्ट0 मे दर्ज रामलाल पुत्र घासी जाति काछी के नाम दर्ज हिस्से में से 1/3 हिस्सा वादी के नाम, तथा आराजी नम्बर 227 रकबा 0.10 हैक्ट0 मे दर्ज कालु पुत्र हुक्मा जाति काछी हिस्सा 1/20 में से 1/60 हिस्सा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष बदस्तुर रहे। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) कपासन जिला–चित्तौड़गढ़

(मणीलाल तीरगर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रेक) कपासन
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) कपासन